न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 07/2002

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील महवा जिला दौसा .. प्रार्थी

बनाम

व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा .. अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.10.2017

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने वाके ग्राम रसीदपुर तहसील महवा स्थित भूमि 923 रकबा 0.13 है0 राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के आधार पर 18.90 रुपये प्रीमियम कायम कर पट्टा फीस जमा कायमी कर वसूल करने व राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने के पटवारी हल्का को आदेश दिये गये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने ख0नं0 262/2 रकबा 0.10 है0 को ग्राम सेवा सहकारी समिति, रसीदपुर की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध तहसीलदार महवा ने यह रेफरेंस प्रस्तुत कर विपक्षी के नाम हस्तान्तरण ख0नं0 312 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी ख0नं0 923 रकबा 0.13 है0 का इन्द्राज पूर्वानुसार सिवायक दर्ज किये जाने हेतु पेश किया गया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल किया गया । अप्रार्थी अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता की इकतरफा बहस सुनी गयी । राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में दलील दी है कि आवंटित भूमि आवंटन नियमों के विरुद्ध गै0मु0 रास्ता (सडक) का किया गया है, जो नियमानुसार नहीं की गई। ऐसी स्थिति में ग्राम सेवा सहकारी समिति को बीज गोदाम निर्माण हेतु दी गई भूमि अवैद्य होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत मद सं0 3 में खाता सं0 312 की प्रविष्टि

निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकट होते है–

1. ग्राम रसदपुर तहसील महवा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 261 रकबा 11 बीधा 4 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता (सडक) संवत 2021 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड थी।

2. मद नं0 एक में वर्णित आराजी की जमाबंदी संवत 2058–61 के खाता नं0 312 में प्रविष्टि में ग्राम सेवा सहकारी समिति, रसीदपुर के नाम दर्ज है।

3. व्यंवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति रसीदपुर के प्रा0पत्र दिनांक 02.01.83 एवं ग्राम पवंचायत रसीदपुर का प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 12.01.83 पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18.01.83 ग्राम रसीदपुर स्थित राजकीय भूमि ख0नं0 261 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा गै0मु0 सडक में से 0.10 बिस्वा भूमि गोदाम निर्माण हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया। जिसको वास्ते स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को प्रेषित की गई। किंतु पत्रावली प्रेषित करने से पूर्व ही राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के आधार पर 18.90 रुपये प्रीमियम कायम कर पट्टा फीस जमा कायमी कर वसूल करने व राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने के पटवारी हल्का को आदेश दिये गये। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने ख0नं0 262/2 रकबा 0.10 है0 को ग्राम सेवा सहकारी समिति, रसीदपुर की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया।

3. तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस विपक्षी के नाम हस्तांतरण खाता सं0 312 की प्रवृष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित भूमि ख0नं0 923 रकबा 0.13 है0 का इन्द्राज पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु इस न्यायालय को भिजवाया गया है।

अतः तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करे। संबंधित पक्षकारान न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष दिनांक 19.12.2017 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा